भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2598

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के तहत उत्तराखंड के लाभार्थी

2598. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में पात्रता सूची की समीक्षा हेतु कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राज्य के लिए निर्धारित 61.94 लाख लाभार्थियों के लक्षित कवरेज की तुलना में 60.06 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

(ख): एवं (ग): अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र तथा राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज की सीमा के भीतर लाभार्थियों की पहचान तथा उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को समय-समय पर अपने लाभार्थी डाटाबेस को साफ करने की सलाह दी गई है ताकि लाभार्थियों का सही लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके और अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफएसए के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और पात्र लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।
